UPUN010042752026

Bail Application/1817/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–2, उन्नाव

1. छोटू उर्फ अख्तर अली पुत्र बाबू लाल निवासी मोहल्ला दुर्गापुर कस्बा व थाना पुरवा जिला उन्नाव।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल महोदय उन्नाव।

2. श्रीमती मंजू पत्नी हरिशचन्द्र निवासिनी मोहल्ला दुर्गापुर कस्बा व थाना पुरवा जिला उन्नाव।

.....विपक्षी

मु.अ.सं.- 165/2026
धारा-191(2),191(3),125,115(2),109,352 बी.एन.एस.
धारा- 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट
थाना पुरवा, जिला उन्नाव।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक- 21.07.2026

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त छोटू उर्फ अख्तर अली की ओर से मु.अ.सं.- 165/2026, धारा-191(2),191(3),125,115(2),109,352 बी.एन.एस., धारा- 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट, थाना पुरवा जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त उक्त धाराओं में जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी श्रीमती मंजू पत्नी हरिश्चन्द्र नि० मोहल्ला दुर्गापुर कस्बा व थाना पुरवा जनपद उन्नाव की निवासिनी है। प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की गरीब महिला है। घटना आज 10.06.2026 समय लगभग 06.30 बजे शाम की है मेरे परिवार के लड़के गली में क्रिकेट खेल रहे थे तथा वहीं पर छोटू पुत्र बाबूलाल, रोहित पुत्र मुन्ना, कपिल पुत्र शाहिद, पिन्ना पुत्र बुद्धन, अयान पुत्र छोटू व इनके अन्य साथी नाम पता अज्ञात नि०गण मोहल्ला दुर्गापुर कस्बा व थाना पुरवा जिला उन्नाव नशेबाजी कर रहे थे मैने जब इन लोगों को नशेबाजी करने से मना किया तो उपरोक्त सभी मुल्जिमान तथा उनके पारिवारिक शादी में सम्मिलित होने आये अन्य लोगों ने मिलकर सामूहिक रुप से लाठी डण्डे व कुल्हाडी ईंटा से लैश होकर प्रार्थिनी के घर व परिवार पर हमला कर दिया। उपरोक्त सभी मुल्जिमान प्रार्थिनी को जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी-डण्डो से मारने लगे प्रार्थिनी के चिल्लाने पर प्रार्थिनी को बचाने आये जितेन्द्र सोनकर पुत्र राजेन्द्र सोनकर, दुर्गाना पत्नी राजेन्द्र सोनकर, राजेन्द्र सोनकर पुत्र बाबूलाल, अंकित सोनकर पुत्र मैकू, गोल्डी पुत्री सुरेश चन्द्र, संदीप व प्रदीप पुत्रगण रामकुमार, राहुल पुत्र बुद्दिलाल को भी उपरोक्त सभी मुल्जिमान जाति सूचक गालियां देते हुए कहा कि साले खटीक के बच्चों आज तुमको बोटी-बोटी काट देगें, इतना कह कर लाठी-डण्डे व कुल्हाड़ी व ईंट पत्थर चलाकर हमला करते हुए सभी को बेरहमी से बहुत अधिक मारा-पीटा जिससे सभी लोग सम्भीर रूप से घायल हो गये,

पीड़ित पक्ष द्वारा 112 नं0 डायल कर पुलिस से मद्द मांगी, डायल 112 नं० पुलिस पहुंचने पर मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज करके मुल्जिमानों के विरुद्व सख्त कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत में कथन किया है कि प्रार्थी निर्दोष है महज रजिशन झूठा मुकदमे में फॅसाया गया है। उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी पूर्णतया बेगुनाह है प्रार्थी घटना के समय मौके पर मौजूद भी नही रहा है वादिनी ने महेज प्रार्थई को हैरान व परेशान करने की बदनियती से सरासर झूठा फसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से ही घटना बनावटी व बढ़ाचढ़कर गढी हुयी प्रतीत होती है। प्र.सू.रि. की आधात आख्याओ से ताईद एवं मेल नही खाती है। प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद अपनी जमानत का दुरुप्रयोग नहीं करेगा और न ही गवाह सबूत पर असर डालेगा। प्रार्थी की ओर से कोई भी प्रार्थना पत्र जमानत माननीय उच्च न्यायालय में नही दिया गया है। और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दौरान मुकदमा प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा करे ।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

वादिनी पर नोटिस तामिल होकर प्राप्त है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थन्ना पत्र का विरोध किया गया है तथा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा दिनांक 10.06.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से लिखाई गयी कि अभियुक्त द्वारा अपने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रार्थिनी को जातिसूचक गालियां देते हुये प्रार्थिनी व उसके परिवार को लाठी डण्डो व कुल्हाड़ी व ईट से मारापीटा जिससे प्रार्थिनी व उसके परिवार वालो को गम्भीर चोटे आयी तथा वादिनी द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जिसे बचने के लिये मैने अपना हाथ आगे किया तो मेरे हाथ में चोट आयी परंतु मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मारपीट से मजरूबो को आयी सभी चोटे साधारण प्रकृति की है। यद्यपि अभियोजन की तरफ से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जो 1. मु.अ.सं. 332/2022 धारा- 323,504,506 भा.द.सं., 2. मु.अ.सं.- 167/2024 धारा- 504,506 भा.द.सं., 3(2)5 ए एस.सी.एस.टी. एक्ट है परंतु अभियोजन की तरफ से ऐसा कोई प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया जिसमें अभियुक्त को दोषसिद्व किया गया हो। अभियुक्त दिनांक **09.07.2026** से जिला कारागार उन्नाव में निरूद्व है। ऐसी स्थिति अपराध की पृष्ठभूमि में अभियुक्त की भूमिका एवं मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त छोटू उर्फ अख्तर अली की ओर से मु.अ.सं.- 165/2026, धारा- 191(2),191(3),125,115(2),109,352 बी.एन.एस., धारा- 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट, थाना पुरवा जिला उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. आवेदक/अभियुक्त गवाह को किसी भी प्रकार से न डरायेगा और न धमकायेगा।

2. दौरान विचारण आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर जब भी साक्षी न्यायालय में उपस्थित हो तो कोई स्थगन नही लेगा, यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसका जमानत आदेश निरस्त करने पर न्यायालय विचार कर सकती है।
3. आवेदक/अभियुक्त वाद के आरम्भ में आरोप विरचन किये जाने पर एवं बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. दर्ज किये जाने पर अवश्य उपस्थित रहेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त मूल पता व चालू मोबाइल नं. न्यायालय को उपलब्ध करायेगा यदि दौरान विवेचना एवं विचारण में अपने मूल एवं वर्तमान पता चालू मोबाइल नं. परिवर्तित किया जाता है तो उसके द्वारा न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।
5. अभियुक्त/आवेदक न्यायालय के अनुमति के बिना भारत छोड़कर विदेश नही जायेगा।
6. अभियुक्त द्वारा 50,000/- (पचास हजार रूपये) का स्वबंध पत्र एवं इसी समान धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दि. 21.07.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2
उन्नाव।